न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 34/18

1.पणू पुत्र चतुर सिंह आयु 25 वर्ष।
2.श्रीमती गुडडीबाई पत्नी अलवेल सिंह जाति
गुर्जर, निवासीगण ग्राम चतुर सिंह का पुरा
(खरौआ) थाना व परगना गोहद जिला भिण्ड,
म प

---आवेदकगण

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद

———अनावेदक

27-01-2018

आवेदक / आरोपीगण पप्पू व श्रीमती गुडडीबाई की ओर से श्री आर०पी०एस० गुर्जर अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

पुलिस थाना गोहद से अपराध कमांक 229/17 अंतर्गत धारा 304-बी, 201, 34 भा0दं०सं० एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक / अभियुक्तगण पप्पू व श्रीमती गुडडीबाई की ओर से अधिवक्ता श्री आर0पी0एस0 गुर्जर द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर०पी०एस० गुर्जर द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया कि आवेदकगण के विरुद्ध झूंटा मामला विरोधियों की रिपोर्ट के आधार पर कायम कर लिया है जिसमें पुलिस आवेदकगण को गिरफतार करने के लिये उतारू है। आवेदक पप्पू नवयुवक है और आवेदक गुडडीबाई वृद्ध महिला है। उसके घर में देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं सदस्य है। यदि आवेदकगण को गिरफतार किया गया तो घर की देखभाल की व्यवस्था चौपट हो जावेगी तथा जीवन बरवाद हो जायेगा। अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदकगण जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेंगे। अतः इन्हीं सब आधारों पर उन्हें अग्रिम जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने दहेज मृत्यु जैसे गंभीर

अपराध में साक्ष्य विलोपन किये जाने संबंधी आवेदकगण के कृत्य को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन के अनुसार मृतिका सीतेश का विवाह चार वर्ष पूर्व अभियुक्त सोनू पुत्र अलवेल गुर्जर के साथ हुआ था। विवाह के बाद पित सोनू, सास गुड़डी, ताउ ससुर राजा भईया, पप्पू, गुड़डा, चिचया ससुर अतेंद्र, नरेंद्र, जेठ जयपाल, देवर सुरजीत, धर्मेंद्र मृतिका सीतेश को दहेज में दो लाख रूपये व दस तोला सोने के आभूषण की मांग करते हुये उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे तथा घर से निकाल दिया था, जिसकी रिपोर्ट भी थाना गोहद में की गई थी, उसके बावजूद भी पुनः दहेज की मांग करते रहे। दिनांक 08.10.17 को इन लोगों के द्वारा सीतेश की मारपीट की गई जिसके संबंध में इन लोगों से तथा रिश्तेदार राकेश व प्रकाश से बातचीत की गई, तब भी वे नहीं माने। दिनांक 09.10.17 को चतुर सिंह के पुरा गांव के बाहर एक पानी के गड़डे में सीतेश की अधजली लाश बरामद हुई। उक्त सभी ने सीतेश की हत्या की साक्ष्य को मिटाने के लिये नाते रिश्तेदारों के सहयोग से उसकी लाश को क्षत विक्षत कर नष्ट कर दिया।

उक्त घटना के संबंध में सीतेश के पिता गंगा सिंह के द्वारा थाना गोहद में मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराई गई, जिसे जांच करने पर उक्त सभी लोगों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 229/17 अंतर्गत धारा 304—बी, 201, 34 भा0दं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा आवेदकगण को मामले में घटना के पश्चात से फरार हो जाना बताते हुये धारा 299 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियोग पत्र पेश किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार अपराध की गंभीरता सहित मामले के संपूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः उनकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित संबंधित थाने को केस डायरी विधिवत वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस०के०गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड WILHARD PAROTO SUNTA PROTOS